

रामवतार बनाम चन्द्रकला वगै०


रामवतार पुत्र बजरंगलाल उम्र 72 साल जाति महाजन निवासी वार्ड नं० 39 बीखा वाला कुआ के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज०)

वादी

बनाम

1. चन्द्रकला पत्नी गणेश कुमार उम्र 68 साल जाति महाजन निवासी गणेश अजेन्सी खेमी सती रोड झुन्झुनू तह० व जिला झुन्झुनू (राज०)।
2. जगदीश लोयल पुत्र सांवलराम उम्र 42 साल जाति जाट निनवासी रिरियासर कां तहसील व जिला झुन्झुनू (राज०)।
3. जीवणी पत्नी दीना उम्र 80 साल जाति घोसी (ग्वाला) निवासी ईलाइयो का मोहल्ला, ईलाइयो की मस्जिद के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज०)।
4. बबीता गुप्ता पत्नी मुकेश कुमार उम्र 40 साल जाति महाजन निवासी गणेश मिसठान भण्डार, गांधी चौक झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज०)।
5. राजेश पुत्र गौरीशंकर उम्र 35 साल जाति महाजन निवासी पंचमुखी बाला जी के सामने मण्ड्रेला रोड झुन्झुनू तह० व जिला झुन्झुनू (राज०)।
6. लिछमी पत्नी शकुर खां उम्र 70 साल जाति घोसी (ग्वाला) निवासी निवासी ईलाइयो का मोहल्ला, ईलाइयो की मस्जिद के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज०)।
7. सुजाता पत्नी अनिल उम्र 48 साल जाति जाट निवासी सुभाष मार्ग इन्दिरा नगर झुन्झुनू तह० व जिला झुन्झुनू (राज०)।
8. सलानी पुत्री दीना उम्र 65 साल जाति घोसी (ग्वाला) निवासी निवासी ईलाइयो का मोहल्ला, ईलाइयो की मस्जिद के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज०)।
9. सीमा पत्नी प्रमोद कुमार उम्र 48 साल जाति महाजन निवासी चुणा चौक झुन्झुनू तह० व जिला झुन्झुनू (राज०)।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू जिला झुन्झुनू (राज०)
11. शकुंतला देवी पत्नी रामवतार जाति महाजन निवासी मुकुन्दगढ हाल आबाद 2/9 ब्रिजधाम हॉउसिंग काम्लेक्स उर्थ श्री भुमि कलकता।

प्रतिवादीगण


उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

दावा बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

विवेचन

दिनांक : 10/10/24

वादी की ओर से एक वाद इस आशय का पेश किया गया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 0.8000 है, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.5500 है, खसरा नम्बर 461 रकबा 0.5200, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.2500 है, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.3000 है, खसरा नम्बर 464 रकबा 0.22 है, खसरा नम्बर 465 रकबा 0.1000 है, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.2500 है, खसरा नम्बर 467 रकबा 0.3000 है कुल किता 9 कुल रकबा 3.2900 है स्थित है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जो कि विवादित है। विवादित आराजी में खातेदारों के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। पक्षकारान आपसी सहूलियत से जमीन जैर बहस काबिज काशत है। पक्षकारान अपने कब्जे काशत की भूमि का विभाजन करवाना चाहता है अतः न्यायालय के समक्ष वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2023 को वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार कर डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार झुन्झुनू से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया था। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक भू0अ0/2024/1783 दिनांक 12.09.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव शामिल मिशल किया जाकर विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील पक्षकारानों ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाने पर अपनी सहमति प्रदान की है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

अंतिम निर्णय

वाद वादी सिद्ध होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। भूमि सरहद मौजा कस्बा झुन्झुनू हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 0.8000 है, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.5500 है, खसरा नम्बर 461 रकबा 0.5200, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.2500 है, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.3000 है, खसरा नम्बर 464 रकबा 0.22 है, खसरा नम्बर 465 रकबा 0.1000 है, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.2500 है, खसरा नम्बर 467 रकबा 0.3000 है कुल किता 9 कुल रकबा 3.2900 है कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/10/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया

गया।

10/10/24
 (हवाई सिंह साद्व्य)
 आधिकारी
 माजवण्ड आधिकारी, झुन्झुनू

अंतिम डिक्री मुकदमा हुक्मदागी (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी :- श्री हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

उनवान :-

रामावतार बनाम चन्द्रकला वगै०

दावा बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. :- 151/2019

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अनुपम शर्मा, प्रतिवादी संख्या 2, 5 की ओर से श्री विजय ओला, प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से श्री महेश चन्द्र शर्मा उपस्थित। वाद में आज दिनांक को श्री हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। भूमि सरहद मौजा कस्बा झुन्झुनू हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 0.8000 है०, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.5500 है०, खसरा नम्बर 461 रकबा 0.5200, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.2500 है०, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.3000 है०, खसरा नम्बर 464 रकबा 0.22 है०, खसरा नम्बर 465 रकबा 0.1000 है०, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.2500 है०, खसरा नम्बर 467 रकबा 0.3000 है० कुल कित्ता 9 कुल रकबा 3.2900 है० कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा

द्वारा जारी की गई।



Edar Singh
10/10/24
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	1	स्टाम्प वकालतनामा	2
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	2
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान	500	खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुत्तफरिक	4
योग	502	योग	

Edar Singh
10/10/24
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू